[2019] 4 एस. सी. आर 145

सी. आई. टी. बॉम्बे

वी.

तासगांव तालुका एस. एस. के. लिमिटेड।

(2012 की सिविल अपील संख्या 8890)

05 मार्च, 2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966: खंड 3 और 5 ए-मूल्य का निर्धारण-मौसम के अंत में और नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया जाता है-इसलिए, जब खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य निर्धारित/निर्धारित किया जाता है, तो खातों का निपटान किया जाता है और संबंधित सहकारी समिति द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है कि खर्च क्या होगा; लाभ आदि क्या हो सकता है-जहां तक केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एस. एम. पी.) का संबंध है। सरकार की चिंता है, यह मौसम की शुरुआत में है-इसलिए, एस. एम. पी. के बीच राशि का अंतर निर्धारित किया जाता है। खंड 3 के तहत और खंड 5 ए के तहत निर्धारित एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य में लाभ का एक तत्व है और/या घटकों में से एक लाभ होगा।

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 37 (1)-सदस्यों/गैर-सदस्यों को भुगतान किए गए अत्यधिक और अनुचित गन्ना खरीद मूल्य के लिए अस्वीकृति गन्ना के सदस्य-क्या निर्धारिती द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिया गया गन्ना खरीद मूल्य सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस. एम. पी.) से अधिक है और जैसा कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत निर्धारित किया गया है, इसे लाभ का बंटवारा/लाभ का विनियोग कहा जा सकता है। खंड 3 के तहत निर्धारित एस. एम. पी. और खंड 5 ए के तहत निर्धारित एस. ए. पी./अतिरिक्त खरीद मूल्य के बीच अंतर लाभ का एक तत्व है और/या घटकों में से एक लाभ होगा-हालांकि, एक ही समय में, एस. एम. पी. और एस. ए. पी. के बीच अंतर की पूरी/पूरी राशि को लाभ का विनियोग नहीं कहा जा सकता है केवल लाभ का वह हिस्सा/घटक, अंतिम मूल्य निर्धारित करते समय/एस. ए. पी./अतिरिक्त खरीद मूल्य होगा और/या इसे लाभ का विनियोग कहा जा सकता है और इसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को बुलाकर एक अभ्यास किया जाना है। लेखा विवरण, तुलन-पत्र और निर्णय/निर्धारण के उद्देश्य से राज्य सरकार को आपूर्ति की गई सामग्री प्रस्तुत करना। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य/एस. ए. पी.-जहां तक गैर-सदस्यों का संबंध है, उनसे निपटा जा सकता है और/या उन्हें लागू करने पर विचार किया जा सकता है। 40 अधिनियम के ए (2) अर्थात अभिलेख पर सामग्री का आकलन करने वाले अधिकारी

को यह निर्धारित करना होता है कि क्या भुगतान की गई राशि अत्यधिक है या अनुचित है या नहीं- चीनी बेंत (नियंत्रण) आदेश, 1966-खंड 3 और 5 ए, अनुसूची-आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966: खंड 3-एस. एम. पी. का निर्धारण-निर्धारित करने वाले कारक-एस. एम. पी. का निर्धारण/निर्धारण करते समय नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत, केंद्र सरकार को गन्ने के उत्पादन की लागत जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है; वैकल्पिक से उत्पादक को वापसी। फसलें और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति; उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता; चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी को जिस मूल्य पर बेचा जाता है; और गन्ने से चीनी की वसूली।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

1.1 नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार, केंद्र सरकार, ऐसे लोगों के साथ परामर्श करने के बाद,अधिकारी, निकाय या संगठन, जो उन्हें उचित लगे, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर चीनी उत्पादकों या उनके एजेंटों द्वारा उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किए जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करते हैं। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत एस. एम. पी. को तय/निर्धारित करते समय, केंद्र सरकार को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। गन्ने के उत्पादन की लागत जैसे पहलू; वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति; उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता; चीनी के उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी को जिस मूल्य पर बेचा जाता है; और गन्ने से चीनी की वसूली। [पैरा 9.2] [158-डी-जी]

1.2 व्याख्या के अनुसार, गन्ने के विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न गुणों या किस्मों के लिए अलग-अलग कीमतें तय की जा सकती हैं। खंड 3 के उपखंड 2 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति चीनी उत्पादक या उसके एजेंट को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा, और ऐसा कोई भी उत्पादक या एजेंट गन्ना खरीदने या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा, खंड 3 के उपखंड 1 के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर। खंड 5 ए, जिसे वर्ष 1974 में जोड़ा गया है, 01.10.1974 पर या उसके बाद खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त मूल्य का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि जहां चीनी का उत्पादक या उसका प्रतिनिधि प्रत्येक चीनी वर्ष के दौरान एक गन्ना उत्पादक से गन्ना खरीदता है, वह खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा, गन्ना उत्पादक को एक-एक करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। अतिरिक्त मूल्य, यदि नियंत्रण आदेश, 1966 में संलग्न दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार देय पाया जाता है। [पैरा 9.3] [158-एच; 159-ए-सी]

1.3 भार्गव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1974 में खंड 5 ए जोड़ा गया था।सीजन के अंत में और नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त कीमत तय/निर्धारित की जाती है। इसलिए, जब खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य निर्धारित/निर्धारित किया जाता है, तो खातों का निपटान किया जाता है और संबंधित सहकारी समिति द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है कि खर्च क्या होगा; लाभ क्या हो सकता है आदि। जहाँ तक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत निर्धारित एस. एम. पी. का संबंध है, यह सत्र की शुरुआत में है। इसलिए, खंड 3 के तहत निर्धारित एस. एम. पी. और खंड 5 ए के तहत निर्धारित एस. ए. पी./अतिरिक्त खरीद मूल्य के बीच लाभ का एक तत्व है और/या घटकों में से एक लाभ होगा। इसलिए, लाभ के घटक की सीमा तक जो एस. ए. पी. के अंतिम निर्धारण का एक हिस्सा होगा और/या खंड 5 ए के तहत निर्धारित अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य निश्चित रूप से लाभ का विनियोग होगा और/या कहा जाएगा। हालांकि, साथ ही, एस. एम. पी. और एस. ए. पी. के बीच अंतर की पूरी/पूरी राशि को लाभ का विनियोग नहीं कहा जा सकता है। निर्धारित अंतिम मूल्य/एस. ए. पी./अतिरिक्त खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय लाभ का केवल वह हिस्सा/घटक होगा और/या इसे लाभ का विनियोग कहा जा सकता है और इसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा एक अभ्यास किया जाना है। निर्धारिती को नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य/एस. ए. पी. तय करने/तय करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को खातों, तुलनपत्र और आपूर्ति की गई सामग्री का विवरण प्रस्तुत करना होगा। केवल इसलिए कि सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को अधिक कीमत का भुगतान किया जाता है, सदस्यों के लिए, फिर भी सवाल के संबंध में बना रहेगा

3. मूल्यांकन अधिकारी को व्यवसाय के काम करने के तरीके, तौर-तरीकों और तरीके को ध्यान में रखना होगा। जिसमें एस. ए. पी./अतिरिक्त खरीद मूल्य/अंतिम मूल्य तय किया जाता है और यह निर्धारित करने के लिए कि कितनी राशि लाभ का हिस्सा होगी और इस तरह की कवायद शुरू करने के बाद जो भी लाभ है घटक को लाभ/वितरण के बंटवारे के रूप में माना जाना चाहिए लाभ और शेष राशि को व्यय के रूप में कटौती योग्य माना जाना चाहिए। कानून के प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है, आंशिक रूप से विभाग के पक्ष में और आंशिक रूप से निर्धारिती के पक्ष में। उच्च न्यायालय, आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (ए) के साथ-साथ मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा पारित विवादित आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और मामलों को संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को भेज दिया जाता है। [पैरा 9.5 और 10] [162-बी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8890/2012

आयकर अपील (एल. ओ. डी.) सं. 1556 में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.04.2009 के निर्णय और आदेश से 2007 .

के साथ

सिविल अपील 2019 की 2484,2482,2483,2486,2487,2014 की 4801,2012 की 8891,2013 की 4549 और 2013 की 302।

अरिजीत प्रसाद, रुपेश कुमार, एस. ए. हसीब, टी. एम. सिंह, प्रवेश ठाकुर, श्रीमती अनिल कटियार एडवस। अपीलार्थी के लिए।

पी. चिदम्बरन, शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चिनमय खलडकर, सुश्री नेहा शर्मा, सुश्री एस. लक्ष्मी, अभिकल्प सिंह, बी. के. पाल, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून का सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए इन सभी अपीलों का निपटान इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

3. सुविधा के लिए, 2012 की सिविल अपील संख्या 8890 (आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम तासगांव तालुका सहकारी सिखर कारखाना लिमिटेड) को एक प्रमुख मामला माना जाता है और इसलिए, उक्त अपील के तथ्य हैं सुनाया और विचार किया।

3.1 निर्धारिती (यहां प्रतिवादी) एक सहकारी समिति है जो गन्ने के उत्पादन और उसकी बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। निर्धारिती ने आकलन वर्ष 1998-99 के लिए 'शून्य;' घोषित करते हुए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया। आय। रिटर्न में, निर्धारिती ने 40,00,339/- रुपये की अग्रेषित हानि और 1,67,26,665/- रुपये के अवशोषित मूल्यह्रास की गणना की। रिटर्न को आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(ए) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत संसाधित किया गया था , जिससे अधिनियम की धारा 40ए (3) के अनुरूप 2,02,242 रुपये का समायोजन हुआ। . इसके बाद निर्धारिती ने एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया जिसमें 3,32,42,426/- रुपये का व्यावसायिक घाटा दिखाया गया।

3.2 अधिनियम की धारा 143 (2()/142(1) के तहत निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती के पास सफेद चीनी की विनिर्माण गतिविधियाँ थीं। इसमें चीनी, पेट्रोल पंप स्टेशन और विनिर्माण व्यवसाय से आय दिखाई गई थी "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत ब्याज।

3.3 आय की वापसी और मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत विवरण के साथ अंतिम खातों के विवरण की जांच के बाद, सदस्यों को भुगतान किए गए अत्यधिक और अनुचित गन्ना खरीद मूल्य के लिए अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अस्वीकृति के संबंध में एक मुद्दा उठा। गन्ना.

3.4 यह देखा गया कि विचाराधीन वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने 189736.220 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की थी। निर्धारिती ने गन्ने की खरीद के समय पेराई सत्र 1996-97 और 1997-98 के लिए क्रमशः 615/- रुपये और 720-/ रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान किया था और शेष राशि का भुगतान अनुबंधित मूल्य वृद्धि के अनुसार बाद में किया गया था। सदस्यों और अन्य लोगों से गन्ने की खरीद के मामले में अनुबंध के आधार पर और मंत्री समिति की सलाह के अनुसार गन्ने की खरीद। इसे निम्नानुसार पाया गया है:

विवरण मात्रा एमटी में देय दर भुगतान दर (रु.)
चीनी सीजन 8,307.520 537.700 875.000
96-97 से
सदस्यों
1,652.653 537.700 875.000 से
गैर सदस्य
कुल 9,960.173
चीनी सीजन 129,108.966 537.700 875.000
97-98 से
सदस्यों
50,667.081 537.700 875.000 से

गैर सदस्य
कुल 179,776.047

3.5 यह देखा गया कि चीनी का उत्पादन कवर किया गया थाआवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 और सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 (इसके बाद 'नियंत्रण आदेश, 1966' के रूप में संदर्भित) जारी किया था, जो गन्ने के उत्पादन और कीमत सहित उसकी बिक्री के सभी पहलुओं से संबंधित है। गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया जाए। यह देखा गया कि नियंत्रण आदेश, 1966 का खंड 3 सरकार को न्यूनतम गन्ना मूल्य तय करने के लिए अधिकृत करता है। यह भी देखा गया कि इसके अतिरिक्त नियंत्रण आदेश, 1966 की धारा 5 ए के अनुसार अतिरिक्त गन्ना मूल्य भी देय है।
3.6 यह देखा गया कि निर्धारिती के मामले में, निर्धारिती द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान की गई कीमत, जिनमें से अधिकांश इसके सदस्य हैं, उपरोक्त आदेश के अनुसार देय राशि से अधिक थी और तदनुसार निर्धारिती को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था गन्ने की खरीद के लिए किए गए भुगतान और बाद में किए गए भुगतान का विवरण भी। करदाता को यह बताने के लिए भी कहा गया था कि बाद में किया गया भुगतान करदाता के अनुरोध पर किया गया है या नहीं।

3.7 ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती ने किए गए भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें यह पाया गया कि गन्ना सीजन 1996-97 और 1997-98 के लिए 875/- रुपये पीएमटी की दर से गन्ने की खरीद के लिए भुगतान किया गया मूल्य था । आगे कहा गया कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और खंड 5 ए के अनुसार देय गन्ना मूल्य गन्ना सीजन 1996-97 के लिए 537.70 रुपये और गन्ना सीजन 1997-98 के लिए 646.50 रुपये है। इसलिए, निर्धारिती को यह समझाने का अवसर दिया गया कि गन्ने की खरीद के लिए उसके द्वारा सदस्यों/गैर-सदस्यों को नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और खंड 5 ए के अनुसार देय मूल्य से अधिक का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अत्यधिक।

3.8 इसके जवाब में, निर्धारिती ने लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं। इसमें दावा किया गया कि भुगतान चीनी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया गया है और यह मंत्री समिति द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार है। गैर-सदस्यों और सदस्यों से की गई खरीद के संबंध में, यह निर्धारिती का मामला था कि भुगतान खरीद के समय सहमत मूल्य के अनुसार किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि गन्ने की खरीद के लिए एक अनुबंध गन्ने की शुरुआत के समय किया गया है और चूंकि खरीद के समय ही कीमत पर सहमति होती है, इसलिए इसे कटौती के रूप में अनुमति दी जानी आवश्यक है। इसलिए, यह दावा किया गया कि अधिनियम की धारा 40 ए (2) के तहत या अन्यथा कोई अस्वीकृति नहीं की जाएगी।

4. कर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की ओर से दी गई दलीलों से सहमत नहीं था। एओ का अंतिम निष्कर्ष यह था कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार भुगतान की गई कीमत और नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के बीच का अंतर (और) परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान) को लाभ का वितरण कहा जा सकता है, क्योंकि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत मूल्य निर्धारण में, लाभ का एक तत्व है और इसलिए गन्ना उत्पादकों को भुगतान की गई कीमत है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अत्यधिक है और इसलिए यह व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं है, और निर्धारिती की आय में शामिल किया जाना आवश्यक है।

4.1 ऐसा मानते हुए, निर्धारण अधिकारी ने इस पर विचार किया और पाया:

> "...गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966, गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली कीमत का प्रावधान करता है। इस आदेश के खंड 3 के अनुसार जो प्रारंभिक कीमत तय की जाती है, वह निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखती है।
>
> गन्ने के उत्पादन की लागत। बी उत्पादकों की वापसी, वैकल्पिक फसलें और कृषि वस्तुओं की प्रक्रिया का सामान्य चलना। ग उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता। घ वह कीमत जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी चीनी उत्पादक द्वारा बेची जाती है।
>
> ई गन्ने से चीनी की वसूली.
>
> इसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादकों को धारा 5 ए के अनुसार अतिरिक्त गन्ना मूल्य भी देय है। यह खंड नियंत्रण आदेश के खंड 3 के अनुसार गन्ना उत्पादक को भुगतान की गई कीमत के आधार पर वास्तव में लाभप्रदता को ध्यान में रखता है। इस खंड के अनुसार, कारखाने द्वारा अर्जित लाभ को गन्ना उत्पादक और चीनी उत्पादक द्वारा साझा किया जाता है। खंड 3 के तहत कीमतें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं। गन्ना उत्पादक को देय कुल कीमत प्रत्येक इकाई की लाभप्रदता के आधार पर अलग-अलग होगी। महाराष्ट्र राज्य में, चूंकि 90% चीनी उत्पादक कारखाने सहकारी क्षेत्र में हैं, इसलिए उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त होती है। गन्ने की राज्य सलाहकार कीमत तय करने के उद्देश्य से सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है जिसे मंत्री समिति के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार, गन्ना उत्पादक को भुगतान की जाने वाली प्रारंभिक कीमत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर तय की जाती है। नियंत्रण आदेश के खंड 3 के अनुसार. हालाँकि, अंतिम कीमत प्रत्येक इकाई की लाभप्रदता के आधार पर तय की जाती है और महाराष्ट्र राज्य में, संपूर्ण लाभ गन्ना उत्पादकों के बीच वितरित किया जाता है। चीनी आयुक्तालय तदनुसार अंतिम कीमतें तय करता है, हालांकि, यह निर्धारिती के विशिष्ट अनुरोध पर किया जाता है।

यहां यह बताना जरूरी है कि सोसायटी अंतिम गन्ना भुगतान के निर्धारण के लिए चीनी आयुक्त को प्रस्ताव भेजती है। यदि अधिक लाभ उपलब्ध है तो सोसायटी अधिक भुगतान का प्रस्ताव करती है। यदि उपलब्ध हो तो लाभ कम है। फिर प्रस्तावित भुगतान तदनुसार कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गन्ना मूल्य के अंतिम भुगतान में समिति का लाभ शामिल होता है जो अतिरिक्त गन्ना मूल्य के रूप में सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। राज्य द्वारा सलाहित मूल्य के संबंध में सोसायटी के तर्कों को एक सीमित सीमा तक सही माना जाता है, जिसका अर्थ है कि सोसायटी के लिए प्रारंभिक अग्रिम मूल्य का भुगतान करना आवश्यक है, जो कि चीनी आयुक्त द्वारा तय किया जाता है। वास्तविक लाभ का. हालाँकि, सीज़न की समाप्ति के बाद, यह सोसायटी ही है जो चीनी आयुक्त को अधिशेष का विवरण भेजती है जिसमें गन्ने की लागत प्रारंभिक अग्रिम मूल्य के आधार पर ली जाती है और शेष अधिशेष को वितरित करने का प्रस्ताव होता है। सीजन में कुल गन्ना मात्रा खरीद के आधार पर। सोसायटी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर, चीनी आयुक्त इस पर सहमति देते हैं और इसलिए, प्रस्तुतिकरण सही नहीं है क्योंकि यह सोसायटी ही है जो मुनाफे के विनियोग के माध्यम से इस तरह के अतिरिक्त गन्ना खरीद मूल्य का प्रस्ताव करती है..."

4.2 निर्धारण अधिकारी ने भी ऐसा किया निर्धारिती की ओर से इस दलील से सहमत नहीं हूं कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम गन्ना मूल्य न्यूनतम है और वास्तविक लागत नहीं है और इसलिए न्यूनतम मूल्य से अधिक के किसी भी भुगतान को यह देखते हुए आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि वैधानिक न्यूनतम मूल्य (इसके बाद 'एसएमपी' के रूप में संदर्भित) को वास्तविक उपज के आधार पर अतिरिक्त मूल्य से बढ़ाया जाता है और यदि ऐसा समायोजित मूल्य प्रारंभिक अग्रिम मूल्य से अधिक है तो केवल ऐसे समायोजित मूल्य को प्रारंभिक अग्रिम मूल्य के बजाय स्वीकार्य कटौती के रूप में माना जाता है। निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि अतिरिक्त गन्ना मूल्य की गणना लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद की जाती है और यह पूरे वर्ष में चीनी सहकारी समिति द्वारा अर्जित संपूर्ण अधिशेष या आय का प्रतिनिधित्व करता है और यह आय का अधिशेष लाभ है जिसे वितरित किया जाता है और, इसलिए, इसे वैध कटौती योग्य व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है। नतीजतन, निर्धारण अधिकारी ने माना कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और 5 ए के अनुसार निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई कीमत उचित मूल्य है और इसलिए सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों को निर्धारित और भुगतान की गई कीमत से ऊपर कुछ भी भुगतान किया जाता है। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और 5 ए के अनुसार निर्धारिती अपने सदस्यों को अतिरिक्त गन्ना खरीद मूल्य के रूप में अनुचित और अधिक कीमत देगा और इसलिए धारा 37 के तहत इस तरह के अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं है ।अधिनियम का. गणना का चार्ट इस प्रकार है:

विवरण मात्रा मूल्य एसएमपी + 5 ए अंतर जोड़
प्रति (छोड़कर) भुगतान किया गया
एमटी कटाई
और
परिवहन)
सीज़न 8307.520 875.000 537.700 337.300 2,802,126.00
96-97
सदस्यों

सीज़न 129,108.966 875.000 646.500 228.500 29,501,399.00
97-98
सदस्यों
1,37,416.486 32,303,,525.00

4.3 वैकल्पिक रूप से, निर्धारण अधिकारी ने यह भी माना कि अधिकता अधिनियम की धारा 40 ए(2)(ए) के अनुसार गन्ना उत्पादकों को एसएमपी से अधिक भुगतान किया गया गन्ना मूल्य अस्वीकार्य है, क्योंकि भुगतान किया गया खरीद मूल्य अत्यधिक और अनुचित है।

4.4 तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने रिटर्न को अंतिम रूप दिया और नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और 5 ए के तहत निर्धारित एसएमपी मूल्य/मूल्य से ऊपर सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों/गैर-सदस्यों को भुगतान की गई राशि को आय के रूप में जोड़ दिया।

5. एक अपील पर, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने मंजरा शेतकारी सखार कारखाना लिमिटेड के मामले में दिनांक 19.08.2004 को एक विशेष पीठ, मुंबई आईटीएटी के फैसले पर भरोसा करते हुए और उस पर विचार करते हुए निर्धारिती द्वारा की गई अपील की अनुमति दी और यह माना गया कि गन्ने की खरीद के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जानी है। विद्वान सीआईटी (ए) ने यह भी देखा और माना कि सदस्यों और गैर-सदस्यों को गन्ने के लिए एसएमपी के ऊपर राज्य सरकार (एसएपी) द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य का अतिरिक्त भुगतान धारा 40 ए (2) (बी) के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है) अधिनियम के, इस तथ्य के बावजूद कि कीमत का दावा करने में लाभ एक घटक है। सीआईटी (ए) ने पाया कि सिर्फ इसलिए कि कीमत का दावा करने में लाभ एक घटक है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त कीमत की आड़ में लाभ अलग से वितरित किया जाता है। विद्वान सीआईटी (ए) ने देखा कि निर्धारिती-सहकारी समिति द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान की गई राशि को गन्ने की खरीद के लिए माना जाता है और इसे मुनाफे का विनियोजन नहीं माना जा सकता है। नतीजतन, विद्वान सीआईटी (ए) ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया।

6. विद्वान आई. टी. ए. टी. ने विद्वान सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विभाग द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह प्रश्न आयकर आयुक्त बनाम मंजरा शेतकारी के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।

6.1 कुछ मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निर्धारिती-समितियों ने सदस्यों/गैर-सदस्यों को गन्ना खरीद मूल्य का भुगतान किया है, यहां तक कि इसके खंड 3 और 5 ए के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक या उससे अधिक भी। नियंत्रण आदेश, 1966। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न रखा गया है,

(I) नियंत्रण के खंड 5 ए के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आदेश, 1966 को लाभ का बंटवारा कहा जा सकता है और इसलिए इसे आय की वापसी में शामिल किया जाना है? ; और

(ii) क्या समिति द्वारा अपने सदस्यों/गैर-सदस्यों को भुगतान की गई गन्ना खरीद मूल्य की कोई राशि मूल्य से अधिक या उससे अधिक है।

मूल्य, जिसे लाभ का बंटवारा कहा जा सकता है और इसे निर्धारिती की कुल आय में शामिल करने की आवश्यकता है?

7. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरिजीत प्रसाद ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत निर्धारित एस. एम. पी. और नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस. ए. पी. के

बीच लाभ के बंटवारे के रूप में अंतर पर विचार करना और विचार करना निर्धारण अधिकारी के लिए उचित था, और इसलिए, इसे निर्धारिती की आय में शामिल करने का आदेश दिया गया था।

7.1 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि गन्ने के उपयोग के तरीके और विधि के विस्तृत विश्लेषण के बाद, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपरोक्त अंतर को लाभ के बंटवारे के रूप में मानने के लिए ठोस कारण दिए गए हैं। खरीद मूल्य नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 और 5 ए के तहत निर्धारित किया जाता है।

7.2 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि खंड 3 के चरण में और खंड 5 ए के चरण में गन्ना खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय लागू किए जाने वाले अलग-अलग विचार/मानदंड हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 3 के स्तर पर गन्ना खरीद मूल्य निर्धारित करते समय चरण भी भिन्न होते हैं और खंड 5 ए के स्तर पर निर्धारित होते हैं।

7.3 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत गन्ना खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय, सबसे पहले, यह वित्तीय वर्ष के समापन पर होता है और जब खातों का निपटान किया जाता है। और दूसरी बात, इसमें लाभ का तत्व भी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 5 ए के तहत गन्ना खरीद मूल्य से निपटने के दौरान घटकों में से एक लाभ है, और इसलिए खंड 5 ए के तहत गन्ना उत्पादकों को जो भी भुगतान किया जाता है वह लाभ का बंटवारा है।

7.4 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 5 ए के तहत गन्ना खरीद मूल्य कैसे और किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, इस पर इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी सक्कर कारखाना संघ लिमिटेड बनाम के मामले में विस्तार से विचार किया है। महाराष्ट्र राज्य , 1995 सप्लिमेंट में रिपोर्ट किया गया । (3) एससीसी 475। विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा है, खंड 5 ए के तहत निर्धारित अतिरिक्त कीमत सीज़न के अंत में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि देखा गया है, भार्गव आयोग ने नियंत्रण आदेश, 1966 की अनुसूची II के अनुसार उत्पादकों और कारखानों के बीच 50:50 लाभ साझाकरण के आधार पर सीजन के अंत में अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने की सिफारिश की थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 5 ए के तहत निर्धारित अतिरिक्त खरीद मूल्य में न केवल खेती की लागत बल्कि मुनाफा भी शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी सक्कर कारखाना संघ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में देखा था, इस प्रकार गन्ने की वसूली पर भुगतान की जाने वाली कीमत (खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त कीमत) और चीनी की बिक्री से प्राप्त मुनाफा नहीं है। न्यूनतम लेकिन इष्टतम मूल्य जो गन्ना उत्पादक को दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि गन्ने की पूरी कीमत संरचना दो बुनियादी कारकों पर आधारित है, एक, वसूली प्रतिशत और दूसरा, प्राप्ति घटा व्यय की गणना करके प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए प्रोत्साहन। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए एसएमपी और एसएपी के बीच का अंतर लाभ के बंटवारे के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए, अधिनियम की धारा 37 के तहत आय की रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए।

7.5 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कई मामलों में यह पाया गया है कि निर्धारिती- समाज ने अपने सदस्यों/गैर-सदस्यों को गन्ना खरीद मूल्य का भुगतान अत्यधिक और बाजार मूल्य से कहीं अधिक किया है और /या एसएपी से भी आगे। इसलिए यह प्रस्तुत

किया गया है कि धारा 40 ए पर भी विचार किया जा रहा है (2) अधिनियम के अनुसार, भुगतान की गई इतनी अधिक और अनुचित राशि कटौती योग्य नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि गन्ने की खरीद के लिए सोसायटी द्वारा वास्तव में भुगतान की गई कीमत को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जानी है।

7.6 विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि गन्ना खरीद मूल्य पर व्यय की अतिरिक्त राशि लाभ का शुल्क थी, अर्थात , लाभ का विचलन और लाभ का विनियोजन।

7.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाए और परिणामस्वरूप आईटीएटी के साथ-साथ सीआईटी (ए) द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाए और पारित किए गए संबंधित आदेशों को बहाल किया जाए। मूल्यांकन करने वाले अधिकारी.

8. श्री पी. चिदम्बरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शेखर नफाडे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता संबंधित निर्धारितियों की ओर से उपस्थित हुए हैं।

8.1 संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा और माना है, केवल इसलिए कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत एसएपी का निर्धारण करते समय एक तत्व और/या घटकों में से एक है। लाभ है, यह नहीं कहा जा सकता कि लाभ का बँटवारा है।

8.2 संबंधित करदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत, एक गन्ना समिति के पास गन्ना उत्पादकों को केंद्र सरकार और सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना खरीद मूल्य का भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही सोसायटी को नुकसान हो रहा हो, सोसायटी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त खरीद मूल्य (अंतिम मूल्य) का भुगतान करना होगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्धारिती-समाज द्वारा गन्ना खरीद मूल्य के लिए गन्ना उत्पादकों को जो भी भुगतान किया जाता है वह एक स्वीकार्य व्यय है जिसमें कटौती की जानी आवश्यक है।

8.3 संबंधित करदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने माल की बिक्री अधिनियम की धारा 9 पर भी भरोसा किया है। विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सोसायटी द्वारा सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को उच्च/अतिरिक्त कीमत का भुगतान किया जाता है और इसलिए एसएमपी से ऊपर या उससे अधिक भुगतान की गई किसी भी चीज़ को लाभ का बंटवारा नहीं कहा जा सकता है।

8.4 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार भी 10% शेयरधारक है और शेयरधारक होने के नाते राज्य को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उपनियमों के अनुसार भी, सोसायटी को एसएमपी और एसएपी के बीच अंतर का भुगतान करना पड़ता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एसएमपी और एसएपी के बीच अंतर, किसी भी कल्पना से, लाभ का बंटवारा नहीं कहा जा सकता है और गन्ना खरीदते समय जो भी भुगतान किया जाता है वह खर्च के रूप में कटौती योग्य होता है।

8.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

9. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है।

9.1 एक संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, वह यह है कि क्या निर्धारिती-समाज द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया गया गन्ना खरीद मूल्य एसएमपी से अधिक है और नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत निर्धारित किया गया है, यह कहा जा सकता है लाभ का बंटवारा/लाभ का विनियोजन या व्यय के रूप में स्वीकार्य है?

9.2 उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत एसएमपी और एसएपी निर्धारित करने की व्यवस्था को संदर्भित करना और उस पर विचार करना आवश्यक है। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार, केंद्र सरकार, ऐसे अधिकारियों, निकायों या संघों से परामर्श के बाद, जिन्हें वह उचित समझे, समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय कर सकती है। चीनी उत्पादकों या उनके एजेंटों द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया जाएगा। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत एसएमपी को तय/निर्धारित करते समय, केंद्र सरकार को निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है:

> "(ए) गन्ने के उत्पादन की लागत;
>
> (बी) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति;
>
> ग उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता;

घ वह कीमत जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है; और गन्ने से चीनी की वसूली।

9.3 स्पष्टीकरण के अनुसार, अलग-अलग क्षेत्रों या अलग-अलग गुणवत्ता या गन्ने की किस्मों के लिए अलग-अलग कीमतें तय की जा सकती हैं। खंड 3 के उप-खंड 2 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति चीनी उत्पादक या उसके एजेंट को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा, और ऐसा कोई भी उत्पादक या एजेंट निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर गन्ना नहीं खरीदेगा या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा। खंड 3 का उप-खंड 1। खंड 5 ए, जो वर्ष 1974 में डाला गया है, 01.10.1974 को या उसके बाद खरीदे गए गन्ने के लिए अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान है कि जहां चीनी का एक उत्पादक या उसका एजेंट प्रत्येक चीनी वर्ष के दौरान गन्ना उत्पादक से गन्ना खरीदता है, तो वह खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा, बकाया पाए जाने पर गन्ना उत्पादक को अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करेगा। नियंत्रण आदेश, 1966 से जुड़ी दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त कीमत कैसे निर्धारित की जानी है, यह दूसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "दूसरी अनुसूची [खंड 5-ए देखें] चीनी के एक उत्पादक द्वारा खंड 5-ए के तहत अतिरिक्त मूल्य (प्रति क्विंटल गन्ना) के कारण भुगतान की जाने वाली राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:

आर-एल+एबी एक्स = ----------

(2)सी स्पष्टीकरण- इस सूत्र में.

(1) 'X' चीनी उत्पादक द्वारा गन्ना उत्पादक को देय प्रति क्विंटल गन्ने का रुपये में अतिरिक्त मूल्य है।

(2) 'आर' चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी की रुपये में राशि है, जिसमें खरीदार द्वारा कारखाने को भुगतान या देय उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है।

(3) 'एल' चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी का रुपये में मूल्य है, जिसकी गणना खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के संदर्भ में निर्धारित उत्पाद शुल्क को छोड़कर, प्रति क्विंटल पूर्व-फैक्टरी इकाई लागत के आधार पर की जाती है। वर्ष के अंतिम कामकाजी परिणाम और लागत अनुसूची और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित रिटर्न, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है।

(4) 'ए' वह राशि है जो पिछले वर्ष के लिए देय पाई गई लेकिन वास्तव में भुगतान नहीं की गई [उपखंड (9) के तहत]।

(5) 'बी' चीनी वर्ष के दौरान 30 सितंबर को [नीचे आइटम 7(ii) के अनुसार] उत्पादित चीनी के बिना बिके स्टॉक की वास्तविक बिक्री से प्राप्त होने वाली अधिकता या कमी है, जिसे आगे बढ़ाया जाता है और बिक्री में समायोजित किया जाता है। अगले वर्ष की प्राप्ति.

(6) 'सी' चीनी वर्ष के दौरान चीनी उत्पादक द्वारा खरीदे गए गन्ने की क्विंटलों में मात्रा है।

(7) स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट राशि 'आर' की गणना निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात्: - मैं चीनी वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक राशि; और ii 30 सितंबर के अंत में रखे गए चीनी के बिना बिके स्टॉक का अनुमानित मूल्य, बिक्री की औसत दर पर मुफ्त चीनी स्टॉक के संबंध में, अर्थात् 16 से 30 सितंबर के पखवाड़े के दौरान और लेवी चीनी स्टॉक के संबंध में गणना की गई। 30 सितंबर को अधिसूचित लेवी कीमतें।

स्पष्टीकरण.-इस अनुसूची में "चीनी" का अर्थ किसी भी प्रकार की चीनी है जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक सुक्रोज होता है।" 9.4 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि खंड 5ए को वर्ष 1974 में भार्गव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकर कारखाना संघ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में देखा था, भार्गव आयोग ने सीजन के अंत में उत्पादकों और कारखानों के बीच 50:50 लाभ साझाकरण के आधार पर अतिरिक्त कीमत का भुगतान करने की सिफारिश की थी। नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अतिरिक्त कीमत सीज़न के अंत में खंड 5ए के तहत और नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार तय/निर्धारित की जाती है। इसलिए , जिस समय खंड 5ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य निर्धारित/निर्धारित किया जाता है, खातों का निपटान किया जाता है और संबंधित सहकारी समिति द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है कि व्यय क्या होगा;

लाभ कितना हो सकता है आदि। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां तक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत निर्धारित एसएमपी का संबंध है, यह सीजन की शुरुआत में है और निर्धारण/तय करते समय केंद्र सरकार द्वारा एस.एम.पी. में उपरोक्त बातों पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए, खंड 3 के तहत निर्धारित एसएमपी और खंड 5ए के तहत निर्धारित एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य के बीच राशि के अंतर में लाभ का एक तत्व है और/या घटकों में से एक लाभ होगा। खंड 5ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय संपूर्ण योजना/तंत्र पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकार कारखाना संघ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में विस्तार से विचार किया गया है। उक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि अतिरिक्त खरीद मूल्य/एसएपी का भुगतान सीज़न के अंत में किया जाता है; भार्गव आयोग ने सीजन के अंत में उत्पादकों और कारखानों के बीच 50:50 के लाभ बंटवारे के आधार पर अतिरिक्त कीमत का भुगतान करने की सिफारिश की थी। नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार कार्य किया गया; अतिरिक्त खरीद मूल्य में न केवल खेती की लागत शामिल है, बल्कि मुनाफा भी शामिल है; इस प्रकार गन्ने की वसूली पर भुगतान की जाने वाली कीमत और चीनी की बिक्री से होने वाला मुनाफा न्यूनतम नहीं बल्कि इष्टतम मूल्य है जो गन्ना उत्पादक को दिया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त गन्ना मूल्य या अतिरिक्त राज्य निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाता है। गन्ने की संपूर्ण कीमत संरचना दो बुनियादी कारकों पर आधारित है, एक, वसूली प्रतिशत और दूसरा, प्राप्ति घटाकर व्यय की गणना करके प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए प्रोत्साहन। इसलिए, लाभ के घटक की सीमा तक जो एसएपी के अंतिम निर्धारण और/या खंड 5ए के तहत निर्धारित अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य का हिस्सा होगा, निश्चित रूप से लाभ का विनियोजन होगा और/या कहा जाएगा। हालाँकि, एक ही समय में, एसएमपी और एसएपी के बीच अंतर की पूरी/संपूर्ण राशि को लाभ का विनियोजन नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अंतिम मूल्य/एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय लाभ का केवल वह हिस्सा/घटक, लाभ का विनियोजन होगा और/या कहा जा सकता है और इसके लिए एक अभ्यास किया जाना है। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5ए के तहत अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य/एसएपी तय करने/तय करने के उद्देश्य से करदाता को खातों का विवरण, बैलेंस शीट और राज्य सरकार को आपूर्ति की गई सामग्री का उत्पादन करने के लिए बुलाकर मूल्यांकन अधिकारी। केवल इसलिए कि सदस्यों और गैर-सदस्यों, दोनों को उच्च कीमत का भुगतान किया जाता है, फिर भी लाभ के वितरण/लाभ के बंटवारे के संबंध में प्रश्न बना रहेगा। जहां तक गैर-सदस्यों का सवाल है, इससे निपटा जा सकता है और/या अधिनियम की धारा 40ए (2) को लागू करने पर विचार किया जा सकता है, यानी, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मूल्यांकन अधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि भुगतान की गई राशि अत्यधिक है या नहीं। अनुचित या नहीं. हालाँकि, वर्तमान अपीलों में यह विषय वस्तु नहीं है। हम वर्तमान अपीलों को क्लॉज 3 के तहत निर्धारित एसएमपी से ऊपर गन्ना उत्पादकों को सोसायटी द्वारा भुगतान किए गए गन्ना खरीद मूल्य और नियंत्रण आदेश, 1966 के क्लॉज 3 और क्लॉज 5 ए के तहत निर्धारित मूल्य के बीच गन्ना खरीद मूल्य के अंतर तक सीमित कर रहे हैं।

9.4 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि खंड 5ए को वर्ष 1974 में भार्गव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकर कारखाना संघ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में देखा था, भार्गव आयोग ने सीजन के अंत में उत्पादकों और कारखानों के बीच 50:50 लाभ साझाकरण के आधार पर अतिरिक्त कीमत का भुगतान करने की सिफारिश की थी। नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार। यह भी

ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अतिरिक्त कीमत सीज़न के अंत में खंड 5 ए के तहत और नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार तय/निर्धारित की जाती है। इसलिए , जिस समय खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य निर्धारित/निर्धारित किया जाता है, खातों का निपटान किया जाता है और संबंधित सहकारी समिति द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है कि व्यय क्या होगा; लाभ कितना हो सकता है आदि। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां तक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 के तहत निर्धारित एसएमपी का संबंध है, यह सीजन की शुरुआत में है और निर्धारण/तय करते समय केंद्र सरकार द्वारा एस.एम.पी. में उपरोक्त बातों पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए, खंड 3 के तहत निर्धारित एसएमपी और खंड 5 ए के तहत निर्धारित एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य के बीच राशि के अंतर में लाभ का एक तत्व है और/या घटकों में से एक लाभ होगा। खंड 5 ए के तहत अतिरिक्त खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय संपूर्ण योजना/तंत्र पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकार कारखाना संघ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में विस्तार से विचार किया गया है। उक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि अतिरिक्त खरीद मूल्य/एसएपी का भुगतान सीज़न के अंत में किया जाता है; भार्गव आयोग ने सीजन के अंत में उत्पादकों और कारखानों के बीच 50:50 के लाभ बंटवारे के आधार पर अतिरिक्त कीमत का भुगतान करने की सिफारिश की थी। नियंत्रण आदेश, 1966 की दूसरी अनुसूची के अनुसार कार्य किया गया; अतिरिक्त खरीद मूल्य में न केवल खेती की लागत शामिल है, बल्कि मुनाफा भी शामिल है; इस प्रकार गन्ने की वसूली पर भुगतान की जाने वाली कीमत और चीनी की बिक्री से होने वाला मुनाफा न्यूनतम नहीं बल्कि इष्टतम मूल्य है जो गन्ना उत्पादक को दिया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त गन्ना मूल्य या अतिरिक्त राज्य निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाता है। गन्ने की संपूर्ण कीमत संरचना दो बुनियादी कारकों पर आधारित है, एक, वसूली प्रतिशत और दूसरा, प्राप्ति घटाकर व्यय की गणना करके प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए प्रोत्साहन। इसलिए, लाभ के घटक की सीमा तक जो एसएपी के अंतिम निर्धारण और/या खंड 5 ए के तहत निर्धारित अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य का हिस्सा होगा, निश्चित रूप से लाभ का विनियोजन होगा और/या कहा जाएगा। हालाँकि, एक ही समय में, एसएमपी और एसएपी के बीच अंतर की पूरी/संपूर्ण राशि को लाभ का विनियोजन नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अंतिम मूल्य/एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य का निर्धारण करते समय लाभ का केवल वह हिस्सा/घटक, लाभ का विनियोजन होगा और/या कहा जा सकता है और इसके लिए एक अभ्यास किया जाना है। नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 ए के तहत अंतिम मूल्य/अतिरिक्त खरीद मूल्य/एसएपी तय करने/तय करने के उद्देश्य से करदाता को खातों का विवरण, बैलेंस शीट और राज्य सरकार को आपूर्ति की गई सामग्री का उत्पादन करने के लिए बुलाकर मूल्यांकन अधिकारी। केवल इसलिए कि सदस्यों और गैर-सदस्यों, दोनों को उच्च कीमत का भुगतान किया जाता है, फिर भी लाभ के वितरण/लाभ के बंटवारे के संबंध में प्रश्न बना रहेगा। जहां तक गैर-सदस्यों का सवाल है, इससे निपटा जा सकता है और/या अधिनियम की धारा 40 ए (2) को लागू करने पर विचार किया जा सकता है, यानी, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मूल्यांकन अधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि भुगतान की गई राशि अत्यधिक है या नहीं। अनुचित या नहीं. हालाँकि, वर्तमान अपीलों में यह विषय वस्तु नहीं है। हम वर्तमान अपीलों को क्लॉज 3 के तहत निर्धारित एसएमपी से ऊपर गन्ना उत्पादकों को सोसायटी द्वारा भुगतान किए गए गन्ना खरीद मूल्य और नियंत्रण आदेश, 1966 के क्लॉज 3 और क्लॉज 5 ए के तहत निर्धारित मूल्य के बीच गन्ना खरीद मूल्य के अंतर तक सीमित कर रहे हैं।

9.5 इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी को व्यवसाय के काम करने के तरीके, तौर-तरीकों और तरीके को ध्यान में रखना होगा जिसमें एसएपी/अतिरिक्त खरीद मूल्य/अंतिम मूल्य तय किया जाता है और यह

निर्धारित करना होगा कि कौन सी राशि लाभ का हिस्सा बनेगी और उपक्रम के बाद इस तरह के अभ्यास में जो भी लाभ घटक है उसे लाभ के बंटवारे/लाभ के वितरण के रूप में माना जाना चाहिए और शेष राशि को व्यय के रूप में कटौती योग्य माना जाना चाहिए।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, कानून के प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है, आंशिक रूप से विभाग के पक्ष में और आंशिक रूप से निर्धारिती के पक्ष में। उच्च न्यायालय, आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (ए) के साथ-साथ मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा पारित विवादित आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और मामलों को संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को भेज दिया जाता है ताकि वे जैसा कहा गया है वैसा अभ्यास कर सकें। इसके ऊपर और संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं को अवसर देने के बाद।

11. उपरोक्त के संदर्भ में इन सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।